

न्यायालय:- अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

प्रकरण क्रमांक 309/2015 सत्रवाद

संस्थापित दिनांक 18-09-2015

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0।

-----अभियोजन

बनाम

नरेन्द्र जाटव पुत्र रमेश जाटव, उम्र 25 वर्ष,
निवासी नया बस स्टेण्ड गोहद, जिला भिण्ड
म0प्र0।

-----अभियुक्त

शासन द्वारा अपर लोक अभियोजक श्री दीवान सिंह गुर्जर।

अभियुक्त द्वारा श्री दाताराम बंसल अधिवक्ता।

//नि र्ण य//

//आज दिनांक 26-09-2016 को घोषित किया गया//

01. आरोपी का विचारण धारा 354ख भा0दं0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत किया जा रहा है। उस पर आरोप है कि दिनांक 22.06.2015 के 5-6 दिन पूर्व से फोन करते हुए एवं उक्त दिनांक को हटीले हनुमान मंदिर गोहद में अभियोक्त्री जो कि नावलिंग है की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। उस पर यह भी आरोप है कि उपरोक्त दिनांक व उसके करीब फरियादिया जो कि नावलिंग स्त्री है के साथ लैंगिक हमला कारित किया।

02. अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 29.06.2015 को अर्जुन कॉलोनी निवासी अभियोक्त्री जो कि डी.शॉप ऑन लाइन एजुकेशन में काम करती है, ने थाना गोहद में आकर रिपोर्ट की, कि करीब 15 दिन पहले से मो0न0 7389614351 से कॉल आता है जो उससे गंदी गंदी बातें करता था जिसकी सूचना उसने दिनांक 22.06.15 को थाने पर दी थी। इसके बाद दूसरे नम्बर 8878487587 फोन आने लगा वह भी उससे गंदी गंदी बातें करता था, जिसकी भी उसके द्वारा सूचना थाना गोहद में दी। पुलिस ने बताया कि उसे

बातों में लगाओ और नाम पता पूछो तथा उसे कहीं बुलाओ। उससे बात की तो वह बोला कि वह उससे मिल ले नहीं तो उसे निवटा दूंगा तब उसने कहा कि वह आ जाएगी और वह हटीले हनुमान मंदिर पर डर के कारण अपनी छोटी बहन दीप्ती के साथ उससे मिलने पहुँची और पुलिस को फोन कर बताया कि उसने उसे बुलाया है और अपना नरेन्द्र बताया है। वह मंदिर पहुँची तब तक उसने कई फोन अभियोक्त्री को लगाए और बोला कि वही इंतजार करे वह आ रहा है। फिर वह थोड़ी देर बाद आया और उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। तब तक पुलिस आ गई थी जिसने उसे पकड़ लिया। उक्त आरोपी नरेन्द्र ने उसे बुरी नियत से छेड़ा है और 15-20 दिन से फोन पर गंदी गंदी बातें करता था। जिस पर से पुलिस थाना गोहद में अप.क्र. 198/15 धारा 354 भा0दं0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण विवेचना में लिया गया अभियोक्त्री के कथन लेखबद्ध किए गए एवं आरोपी को गिरफ्तार किया गया तथा घटनास्थल का नक्शामौका बनाया और अभियोक्त्री के धारा 164 भा.दं.सं. के कथन मजिस्ट्रेट के समक्ष लेखबद्ध कराए गए। प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोगपत्र पेश किया गया जो कि कमिट उपरांत माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेशानुसार इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ है।

03. आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 354ख भा0दं0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का आरोप पाया जाने से आरोप लगाकर पढ़कर सुनाया समझाया गया। आरोपी ने जुर्म अस्वीकार किया उसकी प्ली लेखबद्ध की गई।

04. दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार अभियुक्त परीक्षण किया गया। अभियुक्त परीक्षण में आरोपी ने स्वयं को निर्दोष होना बताते हुए झूठा फंसाया जाना अभिकथित किया है।

05. आरोपी के विरुद्ध आरोपित अपराध के संबंध में विचारणीय यह है कि:-

1. क्या घटना दिनांक 22.05.2015 को फरियादिया/पीडिता 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग थी?
2. क्या आरोपी के द्वारा दिनांक 22.06.15 के 5-6 दिन पूर्व से फोन करते हुए उक्त दिनांक को हटीले हनुमान मंदिर गोहद में अभियोक्त्री जो कि नावालिग है की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया?
3. क्या आरोपी के द्वारा उपरोक्त दिनांक व उसके करीब फरियादिया जो कि नावालिग स्त्री है के साथ लैंगिक हमला कारित किया?

—: सकारण निष्कर्ष:—

बिन्दु क्रमांक 1 :-

06. घटना जो कि दिनांक 22.06.2015 की बताई गई है। उक्त दिनांक को पीडिता की उम्र का जहाँ तक प्रश्न है, इस बिन्दु पर पीडिता के पिता प्रदीप शर्मा अ0सा0 3 के द्वारा घटना के समय उसकी पुत्री की उम्र 16-17 साल की होनी बताई गई है। इस बिन्दु पर पीडिता अ0सा0 1 के द्वारा भी घटना के समय अपनी उम्र 17 साल की होनी बताई गई है। यह उल्लेखनीय है कि पीडिता की उम्र के संबंध में उसके पिता प्रदीप शर्मा अ0सा0 3 का कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है। इस प्रकार उनके द्वारा इस बिन्दु पर किया गया कथन अखण्डनीय रहा है। पीडिता के द्वारा भी स्पष्ट रूप से घटना के समय अपनी उम्र 17 साल की होनी बताई है। इस बिन्दु पर उसका कोई भी प्रतिपरीक्षण नहीं किया गया है जिस कारण उसके द्वारा भी इस संबंध में किया गया कथन अखण्डनीय रहा है।

07. आयु के अवधारण के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाली अपेक्षित साक्ष्य का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में आयु के विषय में उपधारणा और उसके अवधारण बावत् धारा 94 किशोर न्याय (बालकों के देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम 2015) की धारा 94(2) में दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिसमें कि उम्र के अवधारण के संबंध में— (1) विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मेट्रिकुलेशन या समतुल्य प्रमाणपत्र यदि उपलब्ध हो। (2) और उसके अभाव में निगम या नगरपालिका प्राधिकरण या पंचायत द्वारा दिया गया प्रमाणपत्र। (3) उपरोक्त फस्ट और सेकण्ड के अभाव में आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेश पर किए गए अस्थि जाँच या कोई अन्य नवीनतम चिकित्सीय आयु अवधारण जाँच के आधार पर किया जाएगा।

08. अभियोजन के द्वारा पीडिता की उम्र के संबंध में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोहद के शिक्षक धर्मेन्द्र भारद्वाज अ0सा0 6 के कथन भी कराए हैं जिनके द्वारा पीडिता के जन्म तिथि के संबंध में विद्यालय के अभिलेख के आधार पर उसकी जन्मतिथि दिनांक 10.02.1999 होना बताई है, जो कि पीडिता के उनके विद्यालय के भर्ती रजिस्टर में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर उनके द्वारा पीडिता की जन्मतिथि बताई गई है इस संबंध में मूल भर्ती रजिस्टर प्र.पी. 9 जिसकी प्रतिलिपि प्र.पी. 9सी है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी बताया है कि अभिलेख के अनुसार पीडिता की जन्मतिथि वह बता रहा है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण उपरांत उसके कथनों में कोई भी विपरीत तथ्य नहीं आया है। पीडिता की उम्र के संबंध में अभियोजन के द्वारा माध्यमिक शिक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल का हाई स्कूल सर्टिफिकेट वर्ष 2014 की अंकसूची पेश की गई है जिसमें भी पीडिता की उम्र 10.02.1999 अंकित है।

09. इस प्रकार उक्त अधिनियम के अंतर्गत जो कि नावालिग की उम्र के निर्धारण हेतु एक दिशा निर्देश के रूप में है के अनुसार विद्यालय से प्राप्त जन्म तारीख प्रमाणपत्र इस संबंध में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। पीडिता के जन्म के संबंध में संबंधित प्रधानाध्यापक के द्वारा प्रमाणित किया गया है जो कि किसी प्रकार से प्रतिखण्डित नहीं है। इस बिन्दु पर पीडिता के पिता एवं स्वयं पीडिता का अखण्डनीय न्यायालयीन कथन भी उक्त तथ्य की सम्पुष्टि करते हैं। ऐसी दशा में घटना जो कि दिनांक 22.06.2015 की होनी बताई गई है उस समय पीडिता की जन्मतिथि दिनांक 10.02.1999 थी जिसके अनुसार पीडिता की उम्र घटना के समय उम्र 16 साल 04 माह 12 दिन की होनी पाई जाती है जो कि घटना के समय 18 वर्ष से कम उम्र की होकर नावालिग होना प्रमाणित होती है।

बिन्दु कमांक 2 व 3:-

10. घटना की पीडिता अ0सा0 1 के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में यह बताया गया है कि साक्ष्य दिनांक 19.11.2015 के करीब 4-5 माह पहले की घटना है। उस समय वह डी.शॉप ऑनलाइन एजुकेशन में काम करती थी। उसके फोन का नम्बर 7047931670 था जिस पर एक लडके का फोन आता था, वह फोन पर गंदी गंदी बातें करता था। उसके पास दो तीन बार फोन आया था। फोन करने वाला अपना अलग अलग नाम बताता था, जो कि कभी छोटू, कभी सोन और एक बार अपना नाम नरेन्द्र बताया था। इसके अलावा उक्त संबंध में सूचना थाना गोहद में थाना प्रभारी को दी थी जिस पर रिपोर्ट प्र.पी. 1 लिखी गई थी जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने नक्शामौका प्र.पी. 2 बनाया था और मजिस्ट्रेट के समक्ष भी वह कथन देने आई थी। घटना की पीडिता को अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, किन्तु इस दौरान साक्षिया इस सुझाव से इन्कार की है कि पुलिस वालों ने उस लडके को जो कि फोन करता था उसे बुलाने के लिए कहा था और इस सुझाव से भी इन्कार की है कि हटीले हनुमान मंदिर पर वह अपनी बहन दीप्ती के साथ पहुँची थी और पुलिस को भी फोन कर दिया था कि उसने उसे बुलाया है और अपना नाम नरेन्द्र बताया है और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि फोन करने वाले ने अपना नाम नरेन्द्र बताया था और थोड़ी देर बाद वह आया और उसने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था और इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि आरोपी नरेन्द्र वही लडका है जो कि उसे फोन करता था और जिसने उसका हाथ पकड़ा था।

11. अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षिया दीप्ती अ0सा0 2 जो कि पीडिता की बहन है के द्वारा भी केवल यह बताया गया है कि उसकी बड़ी बहन के फोन पर किसी के का फोन आता था और फोन करने वाला गंदी गंदी बातें करता था, जिसकी शिकायत उसकी

बहन के द्वारा थाने में की गई थी। घटना के संबंध में अभियोजन के द्वारा जिस प्रकार का घटनाक्रम बताया जा रहा है उसका कोई समर्थन उक्त साक्षिया के द्वारा नहीं किया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में अभियोजन के द्वारा उसे भी पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। साक्षी प्रदीप शर्मा अ0सा0 3 जो कि पीडिता का पिता है उसके द्वारा भी घटना के संबंध में कोई भी बात नहीं बताई गई जिस कारण उसे भी अभियोजन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है।

12. घटना की प्रथम सूचनना रिपोर्ट तत्कालीन थाना प्रभारी गोहद सुनील खेमरिया अ0सा0 5 के द्वारा लेखबद्ध की जानी अभिकथित की है जो कि फरियादिया की रिपोर्ट पर कि आरोपी मोबाइल पर उससे गंदी गंदी बातें करता है और बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लेने के संबंध में प्र.पी. 1 की रिपोर्ट लेखबद्ध करना जो कि धारा 354 भा.दं.वि. एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत लेखबद्ध करना बताया है। साक्षी आशाराम गौड़ अ0सा0 4 जिनके द्वारा प्रकरण की विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी. 7 तैयार करना व आरोपी के पास से एक बेलकम कम्पनी का मोबाइल सफेद रंग का जिसमें रिलाइंस की सिम डली थी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी. 8 तैयार करना और घटनास्थल का नक्शामौका प्र.पी. 2 तैयार करना और साक्षी प्रदीप शर्मा, दीप्ती और नरेन्द्र के कथन लेखबद्ध करना बताया है।

13. घटना की पीडिता अ0सा0 1 के कथन को विचार में लेते हुए उक्त साक्षिया के द्वारा यद्यपि किसी लडके का फोन उसे आना और उससे गंदी गंदी बातें करने के संबंध में और जिस लडके द्वारा फोन किया जाता था उसके द्वारा पूछने पर अपना नाम छोटू, सोनू और एक बार नरेन्द्र बताने का प्रश्न है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि अभियोजन प्रकरण के अनुसार अभियोक्त्री के द्वारा आरोपी नरेन्द्र को फोन से हटीले हनुमान के पास बुलाया गया था और आरोपी वहाँ पर आया था तथा इस दौरान आरोपी ने पीडिता का हाथ पकड़ कर लज्जा शीलता भंग की जानी अभियोजन प्रकरण में बताया गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि पीडिता के द्वारा कहीं भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर आरोपी की कोई पहचान नहीं की जा सकी है। पीडिता के द्वारा अपने साक्ष्य कथन में कहीं भी घटना दिनांक को उसके द्वारा आरोपी को फोन से बुला लिया जाना एवं उसके बुलाने पर आरोपी के आ जाने और इस दौरान उसके द्वारा बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ने के संबंध में कोई भी बात नहीं अपने साक्ष्य कथन में नहीं बताई गई है। इस संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 4 में उसके द्वारा उल्लेखित की गई बातें जिसमें कि आरोपी के घटना में संलिप्तता होनी बताई गई है से साक्षिया के द्वारा इन्कार किया गया है। प्रतिपरीक्षण में

साक्षिया साफतौर से आरोपी नरेन्द्र को कभी नहीं देखना और उसके द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित न करना बताई है। इस परिप्रेक्ष्य में पीडिता के कथन के आधार पर आरोपी के घटना में संलग्न होने अथवा उसके द्वारा घटना कारित किये जाने का तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।

14. इस प्रकार पीडिता अ०सा० 1 के कथन से आरोपी के अपराध में संलग्न होने अथवा उसके द्वारा कोई अपराध कारित किये जाने के संबंध में अभियोजन प्रकरण का कोई समर्थन नहीं हुआ है। उपरोक्त संबंध में साक्षी दीप्ती शर्मा अ०सा० 2 जो कि पीडिता की बहन है के कथन से भी आरोपी के द्वारा पीडिता के साथ कोई घटना कारित किये जाने अथवा अपराध में उसके संलग्न होने के संबंध में अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि नहीं होती है। इस संबंध में साक्षी प्रदीप शर्मा अ०सा० 3 के कथन के आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की कोई सम्पुष्टि नहीं होती है।

15. अभियोजन के द्वारा आरोपी जो मोबाइल से फोन कर फरियादी से अश्लील बातें करना और घटनास्थल पर मोबाइल से फोन कर बुलाए जाने के संबंध में मोबाइल कॉल डिटेल्स जो कि इस संबंध में सम्पुष्टिकारक साक्ष्य हो सकता था, किन्तु अभियोजन के द्वारा उक्त कॉल डिटेल कि वह किस का नम्बर है और कहाँ से किस को फोन किया गया इस तथ्य को कहीं भी प्रमाणित नहीं किया है। इस परिप्रेक्ष्य में जबकि कॉल डिटेल किसी प्रकार से भी प्रमाणित नहीं है, उसके आधार पर भी अभियोजन प्रकरण की कोई पुष्टि नहीं होती है।

16. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक द्वारा व्यक्त किया गया कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से आरोपी के नाम का उल्लेख है और उसके द्वारा घटना कारित किया जाना बताया गया है। पीडिता के द्वारा धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत न्यायालय में हुए कथन में भी आरोपी के घटना में शामिल होने के संबंध में स्पष्ट रूप से बताया गया है। इस परिप्रेक्ष्य में आरोपी के विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी पाई जाती है। इसके अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक द्वारा अपने तर्क के दौरान यह व्यक्त किया कि वर्तमान प्रकरण में धारा 354(ख) भा०दं०वि० एवं इसके अतिरिक्त बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत भी अभियोग है। उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत यह उपधारणा की जाएगी कि अपराध आरोपी के द्वारा ही किया गया है तथा अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत आरोपी के अपराध करने हेतु मानसिक स्थिति की उपधारणा की जाएगी।

17. यह भी उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध नावालिग स्त्री पर लैंगिक हमला कारित करने के संबंध में जो कि धारा 7 लैंगिक अपराधों से बालकों

का संरक्षण अधिनियम 2012 में परिभाषित किया गया है तथा जिसके दण्ड का प्रावधान धारा 8 में है का भी आरोप है। लैगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 इस आशय का प्रावधान करती है कि यदि अधिनियम की धारा 3, 5, 7 और 9 का अपराध करने अथवा अपराध का दुष्प्रेरण करने के संबंध में अभियोग चल रहा है तब विशेष न्यायालय यह अवधारणा करेगा कि व्यक्ति के द्वारा अपराध किया गया है अथवा ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया गया है, जब तक अन्यथा प्रमाणित न कर दिया जाए। इसी प्रकार उक्त अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत अपराध करने वाले व्यक्ति की आपराधिक मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा के संबंध में प्रावधान किया गया है, जिसमें कि आरोपी के अपराध करने के संबंध में मानसिक स्थिति के बारे में उपधारणा की जाएगी तथा बचाव पक्ष को यह प्रमाणित करना होगा कि आरोपी की इस प्रकार की मानसिक स्थिति नहीं थी।

18. जहाँ तक प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी के नाम का उल्लेख होने का प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई सारवान साक्ष्य नहीं होती है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने के आधार पर उसके विरुद्ध अपराध की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं मानी जा सकती। इस बिन्दु पर **जितेन्द्र कुमार वि० स्टेट ऑफ हरियाणा (2012)6 एस.सी.सी. 204** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध घटित होने के संबंध में स्वयं में कोई साक्ष्य नहीं होता है। इसका उपयोग केवल अभियोजन के मामले के लिए सम्पुष्टिकारक साक्ष्य के रूप में किया जा सकता है। इसी प्रकार धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन का प्रश्न है, इस संबंध में **बैजनाथशाह विरुद्ध स्टेट ऑफ विहार 2010 (6) एस.सी.सी. 736** में यह अभिधारित किया है कि धारा 164 दं.प्र.सं. के तहत किए गए कथन तात्विक साक्ष्य नहीं होते हैं वह केवल साक्षी के द्वारा किए गए पूर्ववर्ती कथन की तरह हैं और उस कथन करने वाले व्यक्ति के कथनों की पुष्टि या खण्डन करने हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, इस प्रकार के कथन के आधार पर किसी व्यक्ति को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामदर्ज होने के आधार पर तथा धारा 164 जा.फौ. के कथन के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

19. जहाँ तक लैगिंग अपराधों से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 29 के संबंध में उपधारणा का प्रश्न है तथा इस संबंध में अधिनियम की धारा 30 आपराधिक मानसिक स्थिति की उपधारणा का जहाँ तक प्रश्न है, इस संबंध में उपधारणा किए जाने हेतु प्रारंभिक तौर से तथ्य अभियोजन को दर्शित करना होगा। घटनास्थल पर आरोपी की मौजूदगी के तथ्य को ही पीडिता तथा अन्य अभियोजन साक्षियों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया है

तथा पीडिता के द्वारा स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया गया है कि आरोपी के द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित नहीं की गई है। ऐसी दशा में उक्त अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत अपराध घटित करने के संबंध में उपधारणा और धारा 30 के अंतर्गत मानसिक स्थिति के संबंध में उपधारणा नहीं की जा सकती।

20. इस प्रकार अभियोजन के द्वारा घटना की प्रमाणिकता के संबंध में जिन मौखिक साक्ष्य एवं दस्तावेजी एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी बतायी जा रही है। उनके आधार पर आरोपी के अपराध में संलग्न होना और उसके द्वारा घटना कारित करने का तथ्य किसी भी प्रकार युक्ति युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता।

21. यद्यपि प्रकरण में आई हुई साक्ष्य के आधार पर अभियोजन प्रकरण की प्रमाणिकता सिद्ध होनी नहीं पाई गई है जो कि मुख्य रूप से घटना की पीडिता जिसने कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 1 की दर्ज कराई गई है एवं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिये गये धारा 164 दं.प्र.सं. के कथन प्र.पी. 3 जिसमें कि उसके साथ आरोपी के द्वारा बार बार फोन कर गंदी गंदी बातें करने एवं घटना दिनांक को बुरी नियत से उसका हाथ पकड़कर लज्जा शीलता भंग किये जाना स्पष्ट रूप से उसके द्वारा बताया गया है। उक्त संबंध में उसके द्वारा न्यायालय में हुए शपथ पर कथन में उक्त तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट में लिखाये जाने व मजिस्ट्रेट के समक्ष साक्ष्य के दौरान बताये जाने से इन्कार किया है। अभियोक्त्री नई कहानी को गढ़ते हुये आरोपी को पहचानने से ही इन्कार की है और उसे कभी न देखना एवं उसके द्वारा उसके साथ कोई घटना कारित न करना बताई है। जो कि उसके द्वारा मिथ्या साक्ष्य गढ़े जाने को स्पष्ट करता है और इस बात को दर्शाता है कि उक्त अभियोक्त्री न्यायालय के समक्ष जानबूझकर सही कथन नहीं करना चाहती और मिथ्या साक्ष्य उसके द्वारा आरोपी को बचाने के उद्देश्य से दी जा रही है एवं मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जा रहा है। इस संबंध में अभियोक्त्री के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित होकर मिथ्या साक्ष्य दिये जाने एवं गढ़े जाने के संबंध में पृथक से कार्यवाही की जानी उचित होगी।

22. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में आई हुई अभियोजन साक्ष्य के आधार पर आरोपी की घटना के समय घटनास्थल पर मौजूदगी अथवा उसके द्वारा पीडिता के साथ उसकी लज्जाशीलता भंग करने हेतु कोई घटना कारित की गई अथवा किसी प्रकार से लैंगिक हमला कारित करना अभियोजन साक्ष्य के आधार पर प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है। आरोपी को धारा 354(ख) भा0दं0वि0 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

23. प्रकरण में जप्तशुदा मोबाइल वेलकम कम्पनी का जिसमें रिलाइंस की सिम

डली होनी बताई गई है, उसके स्वामित्व के संबंध में आरोपी के द्वारा प्रमाण पेश करने पर उसे बापस किया जाए अन्यथा तीन माह के अंदर मोबाइल नीलाम कर राशि राजकीय कोष में जमा कराई जावे तथा संबंधित सिम नष्ट की जाए।

24. अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया गया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
हस्ताक्षरित एवं घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

(डी0सी0थपलियाल)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)